भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3095

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2022

बिहार में स्थापित एमएसएमई

3095. डॉ. आलोक कुमार सुमन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने वर्तमान में बिहार में, विशेषकर जिला गोपालगंज में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वर्गीकृत और पंजीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) : क्या गत चार वर्षों के दौरान बिहार में, विशेष रूप से जिला गोपालगंज में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) : मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद बिहार में कितने उद्यमों की स्थापना की गई;

(घ) : बिहार में, विशेष रूप से जिला गोपालगंज में, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उक्त उद्यमों को वितरित किए गए ऋण के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) : क्या बिहार में एमएसएमई को केन्द्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है और यदि हां, तो बिहार में, विशेष रूप से जिला गोपालगंज में, जारी और व्यय की गई कुल निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों के पंजीकरण और वर्गीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की थी। उद्यम पंजीकरण की शुरुआत से अर्थात 01.07.2020 से 01.08.2022 तक के अनुसार उद्यम पोर्टल पर बिहार के 3,87,134 एमएसएमई पंजीकृत हैं। इसमें गोपालगंज जिला के 7,791 एमएसएमई भी शामिल हैं।

(ख): वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर गोपालगंज जिला सहित बिहार में उद्यमों को जिला-वार ब्यौरा, जैसा कि उद्यमों द्वारा स्वेच्छा से घोषणा की गई है, अनुबंध- I में दिया गया है।

(ग): जैसा कि वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सूचित किया गया है, दिनांक 01.07.2022 तक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बिहार राज्य में स्कीम की शुरुआत से अब तक 1.51 लाख करोड़ राशि के 3.62 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं।

(घ): दिनांक 22.07.2022 तक गारंटीकृत आकस्मिक क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)/आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) जोकि आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में घोषित की गई थी, के तहत गोपालगंज जिला सहित बिहार में 8,30,820 एमएसएमई को 5,110 करोड़ रुपए के कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किए गए।

(ड.): एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र स्कीमें हैं। निधि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित नहीं की जाती हैं।

*****

अनुबंध -I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3095 जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध

बिहार राज्य में उद्यम पंजीकरण के तहत विगत चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) के दौरान जिला-वार स्थापित कुल एमएसएमई		
क्र.सं.	जिला का नाम	कुल
1	अररिया	5,397
2	अरवल	986
3	औरंगाबाद	4,221
4	बांका	4,207
5	बेगूसराय	8,178
6	भागलपुर	9,377
7	भोजपुर	4,746
8	बक्सर	2,982
9	दरभंगा	8,226
10	गया	9,992
11	गोपालगंज	5,293
12	जमुई	4,469
13	जहानाबाद	1,848
14	कैमूर (भभुआ)	2,432
15	कटिहार	5,948
16	खगड़िया	5,119
17	किशनगंज	2,795
18	लखीसराय	2,097
19	मधेपुरा	3,883
20	मधुबनी	9,120
21	मुंगेर	3,662
22	मुजफ्फरपुर	14,546
23	नालंदा	6,716
24	नवादा	4,940
25	पश्चिम चंपारण	6,730
26	पटना	31,307
27	पूर्वी चंपारण	12,085
28	पूर्णिया	8,773
29	रोहतास	6,016
30	सहरसा	4,041
31	समस्तीपुर	10,333
32	सारन	7,543
33	शेखपुरा	1,662
34	शिवहर	1,564
35	सीतामढ़ी	7,237
36	सिवान	6,841
37	सुपौल	4,685
38	वैशाली	1,0,177
	कुल:-	2,50,174

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल